


बिहार सरकार



सत्यमेव जयते

वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के बजट प्राक्कलन से संबंधित
प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान का
द्वितीय तिमाही
का परिणाम

(बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के धारा-11 के आलोक में)

सुशील कुमार मोदी
उपमुख्य (वित्त) मंत्री

दिसम्बर, 2011

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आप अवगत हैं कि हमारी सरकार ने वित्तीय संव्यवहार में पारदर्शिता एवं अनुशासन लाने के दृष्टिकोण से 18 फरवरी, 2006 के प्रभाव से ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। उक्त अधिनियम की धारा-11 में यह प्रावधान है कि बजट प्राक्कलन से संबंधित प्रत्येक तिमाही पर आय एवं व्यय के रूझानों का पुनर्विलोकन किया जायेगा और ऐसे परिणामों को विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय तिमाही के आय एवं व्यय के रूझानों का आकलन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

द्वितीय तिमाही के आय एवं व्यय के रूझानों का आकलन विभागों से प्राप्त सूचनाओं, योजना एवं विकास विभाग से राज्य योजना के अधीन विभिन्न विभागों में हुए व्यय विवरणी एवं CTMIS (विस्तृत कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली) से प्राप्त विवरणी/ऑकड़ों के आधार पर संकलन किया गया है।

उपरोक्त आकलन के अनुसार द्वितीय तिमाही में आय एवं व्यय की बजट अनुमानों की तुलनात्मक संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

आय-व्ययक का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

2011-12

| क्र. सं. | मर्दे | बजट अनुमान | बजट अनुमान (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही में हुए प्राप्ति एवं व्यय | द्वितीय तिमाही तक कुल प्राप्ति एवं व्यय | द्वितीय तिमाही तक प्राप्ति एवं व्यय का प्रतिशत (कॉलम 3 का) |
|----------|---|------------|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कुल गैर-ऋण आय | 56223.95 | 58252.14 | 11397.02 | 21286.83 | 37.86 |
| 2 | कुल गैर-ऋण व्यय | 62417.98 | 64668.25 | 16019.31 | 23471.90 | 37.60 |
| 3 | राजकोषीय घाटा (2-1) | 6194.03 | 6416.11 | 4622.29 | 2185.07 | 35.28 |
| 4 | ऋण भुगतान | 2907.89 | 2909.88 | 418.77 | 844.01 | 29.02 |
| 5 | ऋण उगाही | 9088.89 | 9088.89 | 549.19 | 1109.38 | 12.21 |
| 6 | गैर ऋण आय के मुख्य अवयव:- | 56223.95 | 58252.14 | 11397.02 | 21286.83 | 37.86 |
| | (क) राज्य सरकार की आय | 15568.84 | 15568.84 | 2984.63 | 5206.70 | 33.44 |
| | (1) कर राजस्व | 12582.90 | 12582.90 | 2804.62 | 4889.39 | 38.86 |
| | (2) गैर कर राजस्व | 2985.94 | 2985.94 | 180.01 | 317.31 | 10.63 |
| | (ख) केन्द्र सरकार से प्राप्तियाँ | 40637.02 | 42665.21 | 8411.07 | 16076.55 | 39.56 |
| | (1) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | 26966.39 | 28805.50 | 6172.65 | 12345.30 | 45.78 |
| | (2) केन्द्र सरकार से सहाय्य अनुदान | 13670.63 | 13859.71 | 2238.42 | 3731.25 | 27.29 |
| | (ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली | 18.09 | 18.09 | 1.32 | 3.58 | 19.79 |
| 7 | गैर ऋण व्यय के मुख्य अवयव:- | 62417.98 | 64668.25 | 16019.31 | 23471.90 | 37.60 |
| | (क) गैर योजना व्यय | 34915.06 | 36664.65 | 9846.75 | 16071.25 | 46.03 |
| | (1) पेंशन | 7584.26 | 7584.26 | 2263.95 | 3815.40 | 50.31 |
| | (2) सूद | 4738.51 | 4738.51 | 978.84 | 1787.41 | 37.72 |
| | (3) अन्य | 22592.29 | 24341.88 | 6603.96 | 10468.44 | 46.34 |
| | (ख) योजना व्यय | 27502.92 | 28003.60 | 6172.56 | 7400.65 | 26.91 |
| | (1) राज्य योजना | 24000.00 | 24408.05 | 5825.80 | 6970.02 | 29.04 |
| | (2) केन्द्र प्रायोजित योजना + केन्द्रीय योजनागत योजना | 3502.92 | 3595.55 | 346.76 | 430.63 | 12.29 |

नोट :- वित्तीय वर्ष 2011-12 का वार्षिक राज्य योजना 24000 करोड़ रुपये की है ।

विभागवार योजना एवं गैर योजना की व्यय विवरणी अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' पर है ।

योजना मद में व्यय

उपरोक्त आकलन से स्पष्ट है कि द्वितीय तिमाही तक राज्य योजना मद में 6970.02 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जबकि पिछले वर्ष द्वितीय तिमाही तक 7037.47 करोड़ रुपये हुआ था। यह व्यय बजट उपबंध की तुलना में 29.04 प्रतिशत है।

गैर योजना मद में व्यय

वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय तिमाही तक गैर योजना मद में लोक ऋण भुगतान को छोड़कर कुल व्यय 16071.25 करोड़ रुपये है, जो बजट उपबंध का 46.03 प्रतिशत है। द्वितीय तिमाही तक गैर योजना व्यय 50 प्रतिशत तक ही होना चाहिए। इस आलोक में गैर योजना व्यय का रुझान बजट उपबंध के अनुरूप है।

पेंशन/सूद मद में व्यय-

पेंशन मद में 3815.40 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है जो बजट उपबंध का 50.31 प्रतिशत है। सूद मद में 1787.41 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो बजट उपबंध का 37.72 प्रतिशत है। अन्य मदों में व्यय 10468.44 करोड़ रुपये का हुआ है, जो मूल बजट में प्रावधानित राशि का 46.34 प्रतिशत है।

राज्य की अपनी स्रोतों से आय

वर्ष 2011-12 में द्वितीय तिमाही तक राज्य की अपने कर राजस्व की आय 4889.39 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व से आय 317.31 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमानों का क्रमशः 38.86 प्रतिशत एवं 10.63 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में कर-राजस्व से आय 3887.69 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व से आय 369.40 करोड़ रुपये थी। मुख्य विभागवार आय की तुलनात्मक विवरणी अनुलग्नक ग पर है।

वाणिज्य-कर से आय

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रथम तिमाही तक 3165.17 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2572.48 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। इस वर्ष आय कुल बजट अनुमानों 8530.70 करोड़ रुपये का 37.10 प्रतिशत है। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 23.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निबंधन से आय

निबंधन विभाग द्वारा द्वितीय तिमाही तक 686.17 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 507.26 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। यह आय कुल बजट अनुमानों 1600.00 करोड़ रुपये का 42.89 प्रतिशत है। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 35.27 प्रतिशत की वृद्धि है।

उत्पाद शुल्क से आय

उत्पाद विभाग द्वारा द्वितीय तिमाही तक 745.91 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 575.86 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। यह आय कुल बजट अनुमानों 1790.00 करोड़ रुपये का 41.67 प्रतिशत है। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 29.53 प्रतिशत की वृद्धि है।

परिवहन कर से आय

परिवहन विभाग द्वारा द्वितीय तिमाही तक 249.75 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 195.77 करोड़ रुपये का संग्रहण किया गया था। यह आय कुल बजट अनुमानों 537.00 करोड़ रुपये का 46.51 प्रतिशत है। इस प्रकार इस वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में 27.57 प्रतिशत की वृद्धि है।

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र से अनुदान

राज्य को केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में आय प्राप्त होती है। इस मद में द्वितीय तिमाही तक 12345.30 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह बजट अनुमानों 26966.39 करोड़ रुपये का 45.78 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 9794.04 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार इस वर्ष 26.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुदान सहायक अनुदान प्राप्त होता है। इस मद में द्वितीय तिमाही तक 3731.25 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो मूल बजट अनुमान 13670.63 करोड़ रुपये का 27.29 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि में 4513.25 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस मद में इस अवधि के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में 17.33 प्रतिशत की कमी हुई है।

ऋण की उगाही एवं ऋण/सूद का भुगतान

द्वितीय तिमाही तक राज्य सरकार द्वारा 1109.38 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी है, जिसमें केन्द्र सरकार से 302.30 करोड़ रुपये की राशि बाह्य

संपोषित परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक ऋण के रूप में, 684.45 करोड़ रुपये राष्ट्रीय लघु बचतों के विरुद्ध जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियों के मद में एवं नाबार्ड से 97.61 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बजट अनुमानों के अनुसार 9088.89 करोड़ रुपये की उगाही की जानी है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 2314.24 करोड़ रुपये के ऋण की उगाही की गयी थी।

राज्य सरकार द्वारा द्वितीय तिमाही तक 844.01 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है। यह बजट अनुमान 2907.89 करोड़ रुपये का 29.02 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 895.63 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्भुगतान किया गया था। इसी तरह द्वितीय तिमाही तक 1787.41 करोड़ रुपये का सूद मद में भुगतान किया गया है। यह बजट अनुमान 4738.51 करोड़ रुपये का 37.72 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 1625.59 करोड़ रुपये का सूद मद में भुगतान किया गया था।

उपसंहार :

द्वितीय तिमाही तक गैर ऋण आय से 21286.83 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और गैर ऋण व्यय 23471.90 करोड़ रुपये का हुआ। द्वितीय तिमाही तक 2185.07 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा 6194.03 करोड़ रुपये संभावित है। स्पष्ट है कि राज्य की वित्तीय स्थिति नियंत्रण में है।

अंत में, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार कर प्रशासन तथा व्यय प्रबंधन के सुदृढीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

----- :: -----

राज्य योजना व्यय की विभावार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग | विभाग का नाम | 2011-12 | | | | | 2010-11 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|--|-----------|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही का व्यय | द्वितीय तिमाही तक का व्यय | द्वितीय तिमाही तक बजट उपबंध का प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | कृषि विभाग | 84300.00 | 84300.00 | 1780.38 | 39502.80 | 46.86 | 5103.00 | 674.11 |
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 14999.00 | 15960.00 | 4817.86 | 4941.11 | 32.94 | 194.02 | 2446.70 |
| 03 | भवन निर्माण विभाग | 34008.00 | 34283.00 | 1260.15 | 1423.74 | 4.19 | 285.42 | 398.82 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 1393.00 | 1393.00 | 9.68 | 10.74 | 0.77 | 7.32 | 46.72 |
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 2017.00 | 2017.00 | 622.97 | 636.86 | 31.57 | 2753.01 | -76.87 |
| 09 | सहकारिता विभाग | 28981.00 | 28981.00 | 4000.29 | 4000.29 | 13.80 | 2967.02 | 34.83 |
| 10 | उर्जा विभाग | 168223.00 | 169223.00 | 43771.00 | 45504.51 | 27.05 | 38253.00 | 18.96 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 6891.00 | 6891.00 | 3837.00 | 3837.00 | 55.68 | 7117.40 | -46.09 |
| 12 | वित्त विभाग | 13200.00 | 13200.00 | 8595.85 | 12555.85 | 95.12 | 7925.54 | 58.42 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 156689.00 | 156689.00 | 4128.04 | 4128.04 | 2.63 | 18788.00 | -78.03 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 31984.00 | 42592.49 | 145.72 | 218.58 | 0.68 | 1124.09 | -80.55 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 4462.00 | 4462.00 | 878.41 | 1017.39 | 22.80 | 597.49 | 70.28 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 54450.00 | 54450.00 | 697.85 | 6969.70 | 12.80 | 8203.32 | -15.04 |
| 21 | मानव संसाधन विकास विभाग | 301400.00 | 305234.00 | 121109.05 | 121147.25 | 40.19 | 107208.72 | 13.00 |
| 22 | गृह विभाग | 38079.00 | 40229.00 | 2963.31 | 3447.74 | 9.05 | 9718.26 | -64.52 |
| 23 | उद्योग विभाग | 47245.00 | 47245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6661.54 | -100.00 |
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 818.00 | 818.00 | 180.32 | 215.80 | 26.38 | 158.45 | 36.19 |
| 25 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 20415.00 | 20415.00 | 47.95 | 1367.20 | 6.70 | 200.92 | 580.47 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 8170.00 | 8170.00 | 1319.01 | 1347.96 | 16.50 | 192.40 | 600.60 |
| 27 | विधि विभाग | 4630.00 | 4630.00 | 821.86 | 938.60 | 20.27 | 769.42 | 21.99 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 9000.00 | 9000.00 | 1643.53 | 4409.96 | 49.00 | 7578.72 | -41.81 |
| 32 | विधान मंडल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2520.53 | -100.00 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 133535.00 | 154540.00 | 43838.15 | 43913.20 | 32.89 | 5022.44 | 774.34 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 27786.00 | 27786.00 | 5948.08 | 8304.08 | 29.89 | 7557.50 | 9.88 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 120041.00 | 120041.00 | 32635.91 | 32635.91 | 27.19 | 62230.73 | -47.56 |

| मांग | विभाग का नाम | 2011-12 | | | | | 2010-11 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय परिवर्तन (%) |
|------|--|-------------------|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही का व्यय | द्वितीय तिमाही तक का व्यय | द्वितीय तिमाही तक बजट उपबंध का प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.67 | -100.00 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 4238.00 | 4248.00 | 350.41 | 944.90 | 22.30 | 409.93 | 130.50 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 11201.00 | 11263.00 | 647.30 | 1206.13 | 10.77 | 2827.66 | -57.35 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 387519.00 | 387519.00 | 110969.79 | 153662.99 | 39.65 | 191327.94 | -19.69 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 129325.00 | 129325.00 | 72913.06 | 75943.52 | 58.72 | 68900.81 | 10.22 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 6619.00 | 6619.00 | 4161.71 | 4161.71 | 62.88 | 2698.36 | 54.23 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 36128.00 | 36128.00 | 24167.08 | 24167.08 | 66.89 | 4828.24 | 400.54 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 3057.00 | 3057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 3044.00 | 3044.00 | 1046.93 | 1115.21 | 36.64 | 823.75 | 35.38 |
| 47 | परिवहन विभाग | 1251.00 | 2051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.68 | -100.00 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 91950.00 | 91950.00 | 7788.86 | 9087.63 | 9.88 | 27667.15 | -67.15 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 211237.00 | 211237.00 | 37144.63 | 51383.50 | 24.33 | 48457.48 | 6.04 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 25546.00 | 25546.00 | 653.07 | 653.07 | 2.56 | 2465.24 | -73.51 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 173962.00 | 174062.00 | 21661.53 | 32202.20 | 18.51 | 48868.97 | -34.11 |
| | योग- | 2400000.00 | 2440805.49 | 566556.74 | 697002.25 | 29.04 | 703747.14 | -0.96 |

नोट :- योजना एवं विकास विभाग से राज्य योजना के अधीन विभिन्न विभागों में हुए व्यय विवरणी एवं विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया गया है ।

गैर योजना व्यय की विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)

| मांग/ विनियोग सं० | विभाग का नाम | 2011-12 | | | | | 2010-11 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|-------------------------|--|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही का कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक का कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | कृषि विभाग | 31229.20 | 31313.21 | 11173.47 | 13985.44 | 44.78 | 9012.68 | 55.18 |
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 18600.99 | 18802.47 | 5512.58 | 8681.74 | 46.67 | 5612.18 | 54.69 |
| 03 | भवन निर्माण विभाग | 28581.22 | 30016.43 | 5127.70 | 8249.17 | 28.86 | 5536.48 | 49.00 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 11107.92 | 11188.18 | 2314.86 | 4157.95 | 37.43 | 2703.88 | 53.78 |
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | 630.49 | 648.22 | 151.08 | 318.93 | 50.58 | 277.80 | 14.81 |
| 06 | निर्वाचन विभाग | 6552.99 | 6668.38 | 49.84 | 390.46 | 5.96 | 823.06 | -52.56 |
| 07 | निगरानी विभाग | 2353.59 | 2353.59 | 626.44 | 1177.29 | 50.02 | 947.98 | 24.19 |
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | 3985.52 | 4003.61 | 888.35 | 1503.44 | 37.72 | 999.59 | 50.41 |
| 09 | सहकारिता विभाग | 5562.13 | 5586.69 | 1674.44 | 3064.66 | 55.10 | 3465.44 | -11.57 |
| 10 | उर्जा विभाग | 116407.35 | 126238.70 | 88413.00 | 88413.00 | 75.95 | 56685.96 | 55.97 |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 1032.29 | 1032.29 | 241.65 | 334.77 | 32.43 | 179.64 | 86.36 |
| 12 | वित्त विभाग | 40698.00 | 41156.85 | 27204.49 | 29772.75 | 73.16 | 19729.44 | 50.91 |
| 13 | सूद भुगतान | 473850.62 | 473850.62 | 97883.62 | 178740.70 | 37.72 | 162558.89 | 9.95 |
| 15 | पेंशन | 758426.00 | 758426.00 | 226395.44 | 381540.10 | 50.31 | 248200.78 | 53.72 |
| 16 | पंचायती राज विभाग | 166599.13 | 166616.55 | 8601.79 | 32542.08 | 19.53 | 26340.41 | 23.54 |
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | 6514.64 | 7759.54 | 1764.17 | 3224.27 | 49.49 | 2003.98 | 60.89 |
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 10887.19 | 11009.59 | 1137.69 | 4635.04 | 42.57 | 5265.45 | -11.97 |
| 19 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 7524.19 | 7524.19 | 2059.80 | 3484.24 | 46.31 | 1971.99 | 76.69 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 184343.79 | 185637.54 | 41987.78 | 67410.40 | 36.57 | 35913.13 | 87.70 |
| 21 | मानव संसाधन विकास विभाग | 704680.06 | 759141.67 | 278881.77 | 428660.17 | 60.83 | 188349.19 | 127.59 |
| 22 | गृह विभाग | 358836.50 | 389354.01 | 92119.65 | 164680.52 | 45.89 | 108242.71 | 52.14 |
| 23 | उद्योग विभाग | 5016.74 | 5043.78 | 1248.73 | 2187.65 | 43.61 | 1503.67 | 45.49 |
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 5519.09 | 5519.09 | 1828.60 | 2231.54 | 40.43 | 2372.06 | -5.92 |
| 25 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | 266.13 | 284.98 | 60.40 | 92.52 | 34.76 | 57.21 | 61.72 |
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | 9083.92 | 9100.98 | 2744.82 | 4863.96 | 53.54 | 2756.31 | 76.47 |
| 27 | विधि विभाग | 46898.59 | 50169.28 | 10973.59 | 19793.29 | 42.20 | 14190.33 | 39.48 |
| 28 | उच्च न्यायालय | 8266.90 | 8287.64 | 1834.34 | 3944.98 | 47.72 | 3099.80 | 27.27 |
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | 1557.22 | 1557.22 | 272.62 | 545.13 | 35.01 | 382.14 | 42.65 |
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 385.53 | 494.43 | 117.67 | 171.24 | 44.42 | 131.57 | 30.15 |
| 31 | संसदीय कार्य विभाग | 144.26 | 144.26 | 44.20 | 91.71 | 63.57 | 88.47 | 3.66 |
| 32 | विधान मंडल | 8086.00 | 9830.47 | 1907.29 | 3323.57 | 41.10 | 3026.07 | 9.83 |
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | 31331.17 | 35050.86 | 6645.91 | 11319.10 | 36.13 | 6989.37 | 61.95 |

| मांग/ विनियोग सं० | विभाग का नाम | 2011-12 | | | | | 2010-11 में द्वितीय तिमाही तक कुल व्यय | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|-------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | बजट उपबंध | बजट उपबंध (प्रथम अनुपूरक सहित) | द्वितीय तिमाही का कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक का कुल व्यय | द्वितीय तिमाही तक प्रतिशत व्यय (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | 1226.11 | 1226.11 | 393.05 | 719.22 | 58.66 | 579.01 | 24.22 |
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | 5546.28 | 12938.79 | 1112.35 | 1996.48 | 36.00 | 1164.74 | 71.41 |
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | 34091.32 | 34110.32 | 6394.07 | 10971.91 | 32.18 | 18083.90 | -39.33 |
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | 43409.42 | 43409.42 | 2256.74 | 3772.35 | 8.69 | 2785.75 | 35.42 |
| 38 | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग | 11056.29 | 11517.52 | 2764.36 | 4536.90 | 41.03 | 3541.30 | 28.11 |
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | 37884.92 | 59971.95 | 6499.50 | 7693.42 | 20.31 | 7028.36 | 9.46 |
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 32643.84 | 51967.62 | 9351.68 | 16055.04 | 49.18 | 9928.41 | 61.71 |
| 41 | पथ निर्माण विभाग | 64823.23 | 64823.23 | 9413.26 | 16163.73 | 24.94 | 11169.20 | 44.72 |
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | 18072.22 | 18643.86 | 6111.26 | 8253.72 | 45.67 | 4570.00 | 80.61 |
| 43 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 3709.90 | 4080.87 | 1594.88 | 2233.08 | 60.19 | 1087.38 | 105.36 |
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 11504.16 | 11569.94 | 2471.04 | 3634.08 | 31.59 | 1713.46 | 112.09 |
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | 1216.14 | 1239.20 | 393.07 | 737.19 | 60.62 | 506.20 | 45.63 |
| 46 | पर्यटन विभाग | 582.84 | 582.84 | 155.27 | 300.09 | 51.49 | 241.20 | 24.42 |
| 47 | परिवहन विभाग | 15497.49 | 15517.59 | 12809.21 | 13216.29 | 85.28 | 391.74 | 3273.74 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | 37128.11 | 37145.52 | 1875.52 | 2066.40 | 5.57 | 393.10 | 425.67 |
| 49 | जल संसाधन विभाग | 72856.00 | 72871.54 | 20140.08 | 29391.97 | 40.34 | 21952.00 | 33.89 |
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | 41065.85 | 56804.85 | 6174.84 | 10348.22 | 25.20 | 20513.69 | -49.55 |
| 51 | समाज कल्याण विभाग | 4232.81 | 4232.81 | 859.59 | 1503.38 | 35.52 | 894.98 | 67.98 |
| | योग- | 3491506.29 | 3666465.30 | 1012657.55 | 1607125.28 | 46.03 | 1025962.08 | 56.65 |
| 14 | ऋण अदायगियाँ | 290788.88 | 290988.27 | 41876.65 | 84400.67 | 29.02 | 89563.00 | -5.76 |
| | महायोग | 3782295.17 | 3782295.17 | 1054534.20 | 1691525.95 | 44.72 | 1115525.08 | 51.63 |

नोट:- मांगों/विनियोग में बजट उपबंध मांग/विनियोग के अन्तर्गत वसूलियों को घटाने के उपरान्त जो राशि आती है उसे दिखलाया गया है।

राजस्व वसूली की विभागवार विवरणी

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विभाग | 2011-12 | | | | 2010-11 में द्वितीय तिमाही तक कुल प्राप्ति | पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन (%) |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | | बजट प्रावधान | द्वितीय तिमाही में हुई प्राप्ति | द्वितीय तिमाही तक कुल प्राप्ति | द्वितीय तिमाही तक प्रतिशत प्राप्ति (कॉलम 3 का) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | वाणिज्य-कर विभाग | 8530.70 | 1907.92 | 3165.17 | 37.10 | 2572.48 | 23.04 |
| 2 | निबंधन विभाग | 1600.00 | 379.95 | 686.17 | 42.89 | 507.26 | 35.27 |
| 3 | उत्पाद एवं मद्य निषेध | 1790.00 | 364.12 | 745.91 | 41.67 | 575.86 | 29.53 |
| 4 | परिवहन विभाग | 537.00 | 125.37 | 249.75 | 46.51 | 195.77 | 27.57 |
| 5 | राजस्व एवं भू0सु0 विभाग | 125.20 | 27.26 | 42.39 | 33.86 | 36.32 | 16.71 |
| 6 | अन्य | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | योग | 12582.90 | 2804.62 | 4889.39 | 38.86 | 3887.69 | 25.77 |
| गैर कर राजस्व | | | | | | | |
| 7 | खान एवं भू-तत्व विभाग | 315.00 | 55.73 | 107.53 | 34.14 | 100.10 | 7.42 |
| 8 | जल संसाधन विभाग | 30.00 | 2.48 | 3.99 | 13.30 | 2.90 | 37.59 |
| 9 | कृषि विभाग | 21.00 | 2.14 | 3.69 | 17.57 | 3.13 | 17.89 |
| 10 | पर्यावरण एवं वन विभाग | 8.00 | 2.34 | 4.56 | 57.00 | 3.15 | 44.76 |
| 11 | अन्य विभाग | 2611.94 | 117.32 | 197.54 | 7.56 | 260.12 | -24.06 |
| | योग | 2985.94 | 180.01 | 317.31 | 10.63 | 369.40 | -14.10 |
| | महायोग (कर एवं गैर कर राजस्व) | 15568.84 | 2984.63 | 5206.70 | 33.44 | 4257.09 | 22.31 |
| 12 | लघु बचत से प्राप्त ऋण | 2200.00 | 382.07 | 684.45 | 31.11 | 841.96 | -18.71 |

नोट- वर्ष 2011-12 के विभागों से प्राप्त आंकड़ों एवं सी0टी0आई0एम0एस0 डाटा के आधार पर संकलित किया गया है ।